राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 9(86)राज–6/2015 /5 जयपुर, दिनांकः– 25-08-2015

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के निमय 14 को अधिसूचना दिनांक 16.01.2012 द्वारा संशोधित कर संपरिवर्तित भूमि के उपयोग की अवधि 2 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष किया गया है।

कतिपय जिला कलक्टर द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.01.2012 द्वारा संपरिवर्तित भूमि के उपयोग की अवधि 5 वर्ष किए जाने के संबंध में यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि कालावधि 5 वर्ष बढाये जाने की प्रारम्भ तिथि क्या होगी। उक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है किः–

1. जिन मामलों में दिनांक 16.01.2012 को 2 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई है। उन मामलों में बढी हुई 5 वर्ष की कालावधि का लाभ स्वतः ही प्राप्त है।
2. ऐसे प्रकरण जिसमें 2 वर्ष की कालावधि दिनांक 16.01.2012 से पूर्व समाप्त हो गई है। नियम 14 में 5 वर्ष की अतिरिक्त कालावधि बढाने का प्रावधान 25 प्रतिशत संपरिवर्तन प्रभार लेकर किया गया है। नियम द्वारा 5 वर्ष कालावधि एवं इसके पश्चात 25 प्रतिशत संपरिवर्तन प्रभार लेकर 5 वर्ष की अवधि ओर बढाने का प्रावधान किया गया है। अतः नियम 14 के अन्तर्गत कालावधि की गणना संपरिवर्तन आदेश से की जावे। कालावधि का लाभ उन मामलों में दिया जायेगा जिनमें दिनांक 16.01.2012 से पूर्व अवधि 2 वर्ष पूर्ण हो चुकी है एवं संपरिवर्तन आदेश निरस्त नहीं किए गये है।

भवदीय,

(डॉ कुन्ज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय राजस्व विभाग (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, राजस्व सचिव,।
5. निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव, राजस्व सचिव,।
6. निबंधक राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
7. निर्देशक सूचना, एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव